

08/06/2015 -2
08.05.2015

100/-
१०/-

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/संयुक्त सचिव महोदय
नियंत्रण एवं प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
सिविल लाइब्रेरी, दिल्ली

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी जा रही निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के सर्वभ में भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 25 सितम्बर 1956 को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-63) दिनांक 25 सितम्बर 1956 के नाम से हिन्दी वर्जन जारी किया गया है या नहीं?

यदि हिन्दी वर्जन जारी किया गया है तो, प्रार्थी को उक्त अधिनियम की एक प्रभाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये और यदि उक्त अधिनियम का हिन्दी वर्जन जारी नहीं हुआ है तो, क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण बताया जाये।

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची के क्रम संख्या-27 पर धंगड़ जाति के स्थान पर गडरिया जाति के लोगों को धनगर के नाम से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं, क्या वह कानूनन हैं या गैर कानूनन है? अवगत करायें।

नियमानुसार रु.10/- के पोस्टल आईटी नं. 64C 722309 एवं 64C 722310 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। फोटोप्रति का जो भी व्यय होगा प्रार्थी देने को तैयार है।


प्रार्थी

दिनांक: 29.04.2015

रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम

(रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम)
निवासी-डा. अम्बेडकर, नगर-
माता वाली गली, टेड़ी बगिया
पोर्ट-यमुना ब्रज, जिला-आगरा (उ.प्र.)
पिन-282006
मो. 9897329333

नोट: उ.प्र. सरकार द्वारा गडरिया जाति (पिछड़ा वर्ग) के लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र धंगड़ के स्थान पर धनगर के नाम से जारी किये जा रहे हैं की फोटोप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।



कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा

संख्या 15214600 6521 / टंकक

दिनांक : ०६ -०९ - २०१४

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए

जाति-प्रमाण पत्र

यथा विभागीय क्षेत्रीय लेखपाल श्री पद्मपाल की जाँच/रिपोर्ट दिनांक ०३-०९-१५ तथा क्षेत्रीय राजनीति श्री श्रीलोन्द्र पवित्र की जाँच/रिपोर्ट दिनांक ०५-०९-१५ के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुण्ड शिशु धनगर पुत्री श्री पूर्णीकृष्ण धनगर निवासी ६।७ अन्दरूनी शाक्ती भाग आगरा तहसील व जिला आगरा, उठप्र० राज्य की अनुसूचित जाति "धनगर" (DHANGAR) का व्यक्ति है, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ, (संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उठप्र०) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री कुण्ड शिशु धनगर तथा/अथवा उनका परिवार उठप्र० के निवासी ६।७ रु...
वन्दप्ति शाक्ती भाग आगरा जिला आगरा में सामान्यतः रहता है।

अनुसूचित जाति का यह प्रमाण पत्र ऑल इण्डिया धनगर महासभा बनाम उठप्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका सं० 40462/2009 में पारित मा० ०८ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2012 के अनुपालन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 16.01.2013 व शासनादेश संख्या 1654 / 26.03.2013 समाज कल्याण अनुभाग-३ दिनांक 24.10.2013 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

स्थान :- आगरा

दिनांक :-

ह० क्षेत्रीय लेखपाल

उत्तर प्रदेश, भारत

ह० क्षेत्रीय राजनीति

५।१।०५

श्रीलोन्द्र सिंह

ए० नि० विच्छिपुरी

तहसील-सदर आगरा

ह० लिपिक

तहसीलदार (सदर)

आगरा

काशीलय तहसीलदार (संदर्भ) आगरा ।

राजनीति 16/१० १२८५

प्रियोग का दिन २५/२/२०१५

ठेकड़ा - सूचना अधिकार आवेदित वारा २००५
दो, अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करोने के सम्बन्ध में

श्री डॉ पंचल जोधी

(राजकोट)

२२, अशोक नगर कालोकी

उत्तरोत्तर न. २ शाहजहां, आगरा।

अक्षत विषयक आपके अनुदान
पर दरमां ४००/१२-१५ के सूचना अधिकार अधिकारी द्वारा
में जांची गई सूचना पर के लाभ संलग्न कर प्रोत्तिप्राप्त
कर जा रही है।

राजनीति - १०८५



तहसीलदार आगरा

महोदय,

संलग्न जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र श्री श्रीकृष्ण धनगर पुत्र स्व० किशनलाल धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा द्वारा अपनी नावालिंग पुत्री रिशु धनगर के जाति प्रमाण पत्र हेतु दिया है। प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में जाँच की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों(छाया प्रति) का अवलोकन किया गया तथा दो स्थानीय व्यक्तियों के ब्यान लिए गए जो साथ में संलग्न हैं। तदनुसार आख्या निम्न है।

1. प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ अपनी नावालिंग पुत्री रिशु धनगर का निवास प्रमाण पत्र संख्या 152142005554 दिनांक 08.07.2014 की दाखिल की है जिसमें प्रार्थी की पुत्री का नाम रिशु धनगर पुत्री श्री कृष्ण धनगर दर्ज है।

2. प्रार्थी द्वारा रिशु धनगर का श्री रामकृष्ण इन्टर कालेज खन्दारी आगरा के प्रधानाचार्य द्वारा कालेज के लैटर पैड पर जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र दिनांक 16.12.2013 की दाखिल की है जिसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि रिशु धनगर पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर इस विद्यालय में कक्षा 11 (ग्यारहवीं) की संस्थागत छात्रा है। विद्यालय अभिलेखानुसार इनकी जाति धनगर एवं जन्मतिथि 01.07.1998 एक जुलाई उन्नीस सौ अठानवे है। इनका वर्तमान पता 6/7 ए शास्त्रीनगर खन्दारी आगरा है।

3. प्रार्थी द्वारा रिशु धनगर का हाईस्कूल परीक्षा 2013 का प्रमाणपत्र सह अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी की पुत्री का नाम कु० रिशु धनगर व भाता का नाम श्रीमती गीतादेवी धनगर व पिता का नाम श्री श्रीकृष्ण धनगर दर्ज है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने व अपनी पत्नी के मकान के ग्रहकर की रसीद दाखिल की हैं जिसमें प्रार्थी का नाम श्रीकृष्ण धनगर व पत्नी का नाम श्रीमती गीतादेवी धनगर दर्ज है।

5. प्रार्थी द्वारा अपने राशनकार्ड संख्या 317142 दिनांक 24.02.06 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी का नाम श्री श्रीकृष्ण धनगर पुत्र स्व० किशनलाल धनगर लिखा है।

6. प्रार्थी द्वारा वार्ड संख्या 47 के पार्षद श्री गजराज सिंह के लैटर पैड पर दिया गया प्रमाण पत्र दिनांक 03.10.2013 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी का उक्त निवास व जाति धनगर सत्यापित की है।

7. इसके अलावा प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया है कि प्रार्थी व उसकी पुत्री की जाति धनगर है।

8. भौके पर उपस्थित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल निवासी 6/5 वी खन्दारी आगरा व श्री वृजभोहन दिवाकर पुत्र स्व० श्री भजोरी लाल निवासी 6सी/75 खन्दारी आगरा के ब्यान लिए गए जो साथ में संलग्न हैं।

उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी की पुत्री कु० रिशु पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा की जाति धनगर है जो शासनादेश संख्या 1654/

रोल नं ३५३००५
१० निम्न लिखपत्री
उपाय-सदर अध्यक्ष

प्रमाणपत्र दिनांक
केन्द्र रेजिस्ट्री
सदर तहसील, उत्तरा

26.03.13 समाज कल्याण अनुभाग -3 दिनांक 24.10.2013 विषय आल इन्डिया धनगर महासभा बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 40462/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.12 के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 16.01.2013 के अनुपालन में धनगर जाति जो शासनादेश सं0 07442677-17 (21)74 दिनांक 29.08.1977 के क्रमांक 27 पर दर्ज है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है।

अतः उपरोक्त साक्ष्यों से सहमत होने की दशा में नियमानुसार प्रार्थी की पुत्री कु0 रिशु पुत्री श्री श्रीकृष्ण धनगर निवासी 6/7 खन्दारी आगरा शास्त्री नगर आगरा को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत धनगर जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

श्रीकृष्ण
श्रीलेन्द्र सिंह
रा० नि० विच्चपुरी
बहवील-सदर, आगरा

७
०३/०१/१५
ज्ञान शर्मा
सप्तर उद्योग, आगरा

जाति छोड़
619114

ग्राहक
श्रीलेन्द्र
819111



भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 / 2381 9689 Fax: 2381 7846.

By Speed post

सं: ओ. एण्ड एम./20006/2015

दिनांक: २७ मई, 2015

सेवा मे,
श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री लज्जाराम,
माता वाली गली, टेड़ी बगिया,
पोस्ट- यमुना ब्रज, जिला- आगरा,
उत्तर प्रदेश - 282 006

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र जो इस विभाग में दिनांक 06.05.2015 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है।

1. क्रम सं. 1 मे वर्णित वांछित प्रकाशन इस बिभाग मे उपलब्ध नहीं है।
2. मांगी गयी सूचना इस बिभाग से संबन्धित नहीं है।

फिर भी यदि कोई भारत का राजपत्र या अन्य कोई अधिनियम (Act) इस बिभाग से क्रय करना चाहते हैं तो उस प्रकाशन की पूर्ण जानकारी दें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपिलिय प्राधिकारी संयुक्त सचिव व नियंत्रक प्रकाशन को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,
ए. के. सिंह
(ए. के. सिंह)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

OK By
27.05.2015 27.05.15